न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
रेफरेन्स प्रकरण संख्या – 44/2009

सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर

...............प्रार्थी

बनाम

1– श्री दया शंकर पुत्र चन्द्र माली,
2– श्री सुरेश चन्द्र पुत्र चन्द्र माली
3– श्री फतहसिंह पुत्र चन्द्र माली समस्त निवासीगण गढी मालियान तहसील व जिला अजमेर

..............अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध थोक मालियान के नामान्तकरण संख्या 405 पर नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम के आदेश दिनांक 26.04.2008

उपस्थित :–

श्री ओम प्रकाश गुर्जर	राजकीय अभिभाषक
श्री एस.सी.गुप्ता	अभिभाषक अप्रार्थी संख्या

आदेश

दिनांक – 12.02.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार अजमेर द्वारा नामान्तकरण नम्बर 405 ग्राम थोक मालियान तृतीय पर नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2008 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए उक्त नामान्तकरण नम्बर 405 में अंकित खसरा नम्बर 9070 रकबा 00–02–10 किस्म राह का अंकन विलोपित करते हुए शेष खसरा नम्बरान बाबत नायब तहसीहलदार अजमेर प्रथम द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2008 को यथावत रखे जाने बाबत यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री एस.सी.गुप्ता अभिभाषक उपस्थित आये। पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार ने कथन किया कि थोक मालियान तृतीय की जमाबंदी संवत 2020 से 2023 के खाता नम्बर 1476 की भूमि अभिलेख में अंकित सहखातेदारान के मध्य जरिये तकसीम निर्णित हुए नामान्तकरण नम्बर 24 निर्णय दिनांक 23.02.1965 के अनुसार खसरा नम्बर 9070 रकबा 00–02–10 बीघा किस्म

जिला कलक्टर
अजमेर

चाह जंवरी वल्द बख्तावर 1/2 हिस्सा, हरजी वल्द दल्ला 1/4 हिस्सा, रामदयाल वल्द धन्ना 1/8 हिस्सा, मुन्नालाल, सुगनचन्द वल्द सूरजमल नाबालिग बसरबराई मु0 कुनणी वान्दा खुद बहिस्सा बराबर 1/8 हिस्सा कुल 1 हिस्सा कौम माली स्वीकार की जाकर जमाबंदी में लाल स्याही से नोट अंकित किया जा चुका है। उक्त खाता नम्बर 1476 में अंकित हिस्सेदार चन्द्र वल्द भीया माली की मृत्यु होने पर मृतक चन्द्र के वारिसान द्वारा विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं हक त्याग पंजियन दिनांक 23.4.2007 के आधार पर तत्कालीन पटवारी हल्का थोक मालियान तृतीय द्वारा दर्ज किये गये नामान्तकरण संख्या 405 में पैरा संख्या एक में उल्लेखित नामान्तकरण नं0 24 दिनांक 23.02.1965 के अनुसार खसरा नम्बर 9070 रकबा 00–02–10 बीघा किस्म चाह पर मृतक चन्द्र वल्द भीया की हिस्सेदारी नही होने के उपरान्त भी सेवन से अन्य खसरा नम्बर के साथ साथ खसरा नम्बर 9070 रकबा 00–02–10 भूमि को भी चन्द्र वल्द भीया के बजाय मृतक के वारिसान यानिकि अप्रार्थीगण दया शंकर, सुरेश चन्द्र फतह सिह पि0 चन्द्र 1 हिस्सा शेष इन्द्राज बदस्तूर नामान्तकरण नं0 405 के कालम नम्बर 9 में अंकित कर दिया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक अजमेर द्वारा नामान्तकरण नं0 405 पर अंकित जांच में भी उक्त तथ्यों पर गौर नहीं किया जा सका। इस प्रकार अभिलेख में खसरा नम्बर 9070 रकबा 00–02–10 किस्म चाह पर मृतक चन्द्र वल्द भीया का स्वामित्व नहीं होने के उपरान्त भी अन्य खसरा नम्बरान के साथ साथ उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पक्ष में नामानतकरण नम्बर 405 दर्ज होने से नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2008 त्रुटि होने से इसे आंशिक रूप से निरस्त किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त थोक मालियान तृतीय के दर्ज किये गये नामान्तकरण नम्बर 405 में अंकित खसरा नम्बर 9070 रकबा 00–02–10 किस्म चाह का अंकन त्रुटिपूर्ण होने से विलोपित किया जाना आवश्यक है। शेष खसरा नम्बरान का अंकन विधिक परिपेक्ष्य में उचित होने से यथावत रखा जाना आवश्यक है। तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 28.10.2024 में राजस्व ग्राम थोक मालियान तृतीय की जीर्ण–शीर्ण जमाबंदी सं0 2020–2023 के अनुसार उक्त चाह खसरा नम्बर 9070 रकबा 00–02–10 खाता संख्या 1476 में खातेदारान के नाम संलग्न जमाबंदी अनुसार दर्ज है, मौके पर उक्त चाह खसरा नम्बर 9070 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अजमेर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की बाउन्ड्री के भीतर स्थित है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नामान्तकरण नम्बर 405 ग्राम थोक मालियान तृतीय पर नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2008 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए उक्त नामान्तकरण नम्बर 405 में अंकित खसरा नम्बर 9070 रकबा 00–02–10 किस्म चाह का अंकन विलोपित करते हुए शेष खसरा नम्बरान बाबत नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2008 को यथावत रखे जाने बाबत आदेश फरमावे।

हमने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार अजमेर द्वारा नामान्तकरण नम्बर 405 ग्राम थोक मालियान तृतीय पर नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2008 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए उक्त नामान्तकरण नम्बर 405 में अंकित खसरा नम्बर 9070 रकबा 00–02–10 किस्म चाह का अंकन विलोपित करते हुए शेष खसरा नम्बरान बाबत नायब

जिला कलक्टर
अजमेर

तहसीलदार अजमेर प्रथम द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2008 को यथावत रखे जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 28.10.2024 में राजस्व ग्राम थोक मालियान तृतीय की जीर्ण–शीर्ण जमाबंदी सं0 2020–2023 के अनुसार उक्त चाह खसरा नम्बर 9070 रकबा 00–02–10 खाता संख्या 1476 में खातेदारान के नाम जमाबंदी अनुसार दर्ज है, मौके पर उक्त चाह खसरा नम्बर 9070 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अजमेर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की बाउन्ड्री के भीतर स्थित होना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का हित निहीत होना पृथम दृष्टया साबित करने में प्रार्थी तहसीलदार अजमेर असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
अजमेर